न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 85/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00094)

1. आई.जे.एम. इंडिया इन्फ्रास्ट्रेक्चर लि0 हैदराबाद जरिए प्राधिकृत अधिकारी श्री टी0 शिवा कुमार

—**अपीलान्ट्स**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा राज0।

—**रेस्पोंडेन्ट्स**

अपील विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 01.11.2017 अपील संख्या 16/2008 उनवानी आई.जे.एम. इंडिया इन्फ्रास्ट्रेक्चर बनाम राजस्थान सरकार

उपस्थित—

1. श्री अशोक कुमार जोशी, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक —08.10.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 01.11.2017 के विरूद्ध प्रार्थना दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 25.04.18 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार दौसा ने दिनांक 30.03.2007 को कुर्की वारंट क्रमांक टी.आर.ए./वसूली/07/677 जारी किया गया। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार दौसा के उक्त प्रश्नगत आदेश दिनांक 30.03.2007 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा के यहां अपील प्रस्तुत की गयी। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा ने निर्णय दिनांक 01.11.2017 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा प्रकरण में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 30.03.2007 को यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज करने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 01.11.2017 एवं तहसीलदार दौसा द्वारा जारी आदेश वारण्ट कुर्की दिनांक 30.03.2007 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट आई.जे.एम. इंडिया इन्फ्रास्ट्रेक्चर लि0 हैदराबाद जरिए प्राधिकृत अधिकारी श्री टी0 शिवा कुमार द्वारा यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 01.11.2017 एवं तहसीलदार दौसा द्वारा जारी आदेश वारण्ट कुर्की दिनांक 30.03.2007 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा आई.जे.एम. इण्डिया इन्फ्रास्ट्रेक्चर लिमिटेड हैदराबाद को जयपुर महवा खण्ड 2 लेन से 4 लेन करने का अनुबंध किया जाना व अनुबन्ध के आधार पर कंपनी द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया जाना एवं भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 के दोनों ओर पेडों को काटने की स्वीकृति प्रदान किया जाना प्रकट करते हुए कंपनी के पास उक्त पेडों को काटने के बाद रखने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं होना व्यक्त करते हुए कंपनी के कार्यालय के समीप ग्राम मित्रपुर तहसील दौसा स्थित चरागाह भूमि खसरा नंबर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

149 रकबा 16.30 है0 में से 4 बीघा भूमि अस्थाई आंवटन की गई जिस पर अपीलांट कंपनी काबिज है किन्तु रेस्पोडेन्ट के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा सरासर झूंठी रिपोर्ट 4 बीघा के स्थान पर 4 है0 की प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के विरूद्ध 4 बीघा के स्थान पर 4 है0 भूमि की राशि वसूली हेतु अवैध रूप से कुर्की वारण्ट जारी कर दिया तथा अवैध रूप से 4 बीघा भूमि के स्थान पर 4 है0 यानि 16 बीघा भूमि की लीज राशि वसूलने के आदेश दिनांक 30.03.2007 को जारी कर दिये। उक्त आदेश दिनांक 30.03.2007 जो कि तहसीलदार दौसा द्वारा जारी किया गया था के विरूद्ध अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष अपील पेश की, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिक रूप से तथ्यों के विपरीत जाकर दिनांक 01.11.2017 को अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्ट की अपील खारिज फरमा दी। अपीलान्ट कम्पनी को केवल 4 बीघा भूमि सडक निर्माण हेतु अस्थाई आंवटन की गई है तथा कंपनी का 4 बीघा भूमि पर ही वास्तविक कब्जा रहा है किन्तु पटवारी हल्का ने झूठी रिपोर्ट 4 बीघा के स्थान 4 है0 कर दी जिस पर तहसीलदार दौसा ने पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट पर विधिवत विचार नहीं कर दिनांक 30.03.2007 को कुर्की वारण्ट के आदेश पारित कर दिये। अपीलांट कंपनी को केवल 4 बीघा भूमि का ही अस्थाई आंवटन किया गया था तथा अपीलांट कंपनी ने 4 बीघा भूमि अपने काम में ली है किन्तु पटवारी हल्का की एक गलत रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ तहसीलदार दौसा द्वारा अवैध रूप से कुर्की वारण्ट जारी कर दिये तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा तथ्यों पर विचार किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर कानूनी त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा मौके की रिपोर्ट मंगाये बिना तथा राजस्थान सरकार राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 03.03.2006 में उल्लेखित 4 बीघा भूमि आंवटन किये जाने के आदेश को बिना अवलोकन किये कुर्की वारण्ट जारी किये हैं तथा योग्य अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा राजस्व विभाग के आदेश का अवलोकन किये बिना व रकबे को बिना देखे निर्णय पारित किया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा समस्त दस्तावेज एवं तथ्यों से सम्बन्धित ठोस सबूत पेश किये थे किन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेजात एवं तथ्यों को नजरअन्दाज कर विधि विरूद्ध रूप से निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलान्ट कंपनी को पूर्व में नहीं हो पाई क्योंकि कंपनी द्वारा पैरवी हेतु योग्य अधीनस्थ न्यायालय में अपना अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था जिनके द्वारा अपीलान्ट से यह कह रखा था कि आपको आने की आवश्यकता नहीं है जब आवश्यकता होगी तब बुलवा लेगें। जिस कारण अपीलान्ट अपने अधिवक्ता के कहे अनुसार विश्वास में रहे। दिनांक 28.03.2018 को अधिवक्ता द्वारा कंपनी को सूचना भिजवाई कि कलक्टर के यहां चल रही अपील खारिज हो गई। जिस पर अपीलान्ट कंपनी के प्रतिनिधि ने दौसा आकर अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तथा नकल हेतु दिनांक 02.04.18 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल तैयार होकर दिनांक 03.04.2018 को प्राप्त हुई। जिस कारण अपील जानकारी एवं नकल प्राप्ति से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ जिला कलेक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.11.2017 एवं तहसीलदार दौसा द्वारा जारी आदेश वारण्ट कुर्की दिनांक 03.03.2007 निरस्त फरमाने की कृपा करें।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रश्नगत भूमि की किराये की राशि वसूली के संबंध में जिला कलेक्टर महोदय द्वारा तहसीलदार दौसा को दिनांक 24.3.2017 को पत्र जारी करने पर तहसीलदार दौसा द्वारा संबंधित हल्का पटवारी से इस संबंध में रिपोर्ट चाही गई। जिसके संदर्भ में पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है आई.जे.एम. कम्पनी को 4 है0 भूमि आंवटित की गई थी और कम्पनी द्वारा 4.00 है0 भूमि ही उपयोग में ली जा रही है। मौके पर सीमेंट के पोल आदि भी गडे हुए हैं। तदानुसार ही तहसीलदार दौसा ने समय पर राशि जमा नहीं कराने के कारण उक्त कुर्की वारंट जारी किये गये हैं। जो नियमानुसार है। अपीलान्ट का जवाब

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

पत्रावली में संलग्न है। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया था। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नही होने के कारण उसे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होना पूर्ण रूप से पुष्ट नहीं होता है। अतः माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट द्वारा मूल अस्थायी आंवटन आदेश पत्रावली में संलग्न नहीं किया गया। मूल अस्थायी आंवटन आदेश के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अंकित तथ्यों को अप्रांसगिक साबित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.11.2017 में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.11.2017 को यथावत रखा जाता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 08.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर